

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- मुसप्र/ 2021/ 894

दिनांक:- 21/12/21

कार्यालय आदेश


प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 29-10-2021 प्रशासन शहरों के संग के अन्तर्गत जारी की गयी है। संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 01-12-2021 जारी कर अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 29-10-2021 के बिन्दु संख्या-7 में उल्लेखित प्रावधान राजस्थान आवासन मण्डल में भी अभियान अवधि में लागू रहेंगे, निर्देशित किया गया है।

उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 29-10-2021 एवं आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 01-12-2021 के बिन्दु संख्या-7 में दिये गये प्रावधानानुसार ही मण्डल द्वारा आवंटित भूखण्डों/आवासों/फ्लैटों के नामान्तरण के प्रकरणों में प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में लागू रहेंगे।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

5. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-....., रा0आ0म0, (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक